झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक - 13-301/श्रम बजट/2015/ग्रा0वि0 (N) 905 राँची, दिनांक 16-5-16

प्रेषक

एन०एन० सिन्हा, भा0प्र0से0
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड।

विषय :- मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन व निगरानी में ग्राम पंचायत की भूमिका के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक मनरेगा नियोजन में ग्राम पंचायतों की भूमिका व भागीदारी का महत्व योजना बनाओ अभियान में बड़े स्तर पर प्रदर्शित हुआ है। योजनाओं के स्वीकृति में ग्राम पंचायत की भूमिका विभागीय पत्रांक - (N) 672 दिनांक 6.4.2016 में वर्णित है। उसी प्रकार मजदूरों को उनके काम के अधिकार व योजनाओं को समय पर पूरा करने में भी ग्राम पंचायतों की भूमिका अहम् है। मनरेगा कानून के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा होना है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी में ग्राम पंचायत की भूमिका को निम्नवत् परिभाषित किया गया है :-

मनरेगा की प्रक्रिया	ग्राम पंचायत की भूमिका
मजदूरों को उनके मनरेगा अधिकारों के बारे में जागरुक करना	वार्ड सदस्य व मुखिया चर्चा, प्रवेशिकाओं व पर्चों के वितरण, फ़िल्म, पोस्टर, दीवाल लेखन आदि द्वारा मजदूरों को उनके मनरेगा के अधिकारों के बारे में जागरुक कर सकते हैं।
जॉब कार्ड की मांग	वार्ड सदस्य व मुखिया परिवारों को जॉब कार्ड का आवेदन फॉर्म भरने व फॉर्म को ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करने में सहयोग कर सकते हैं। मुखिया (या ग्राम रोज़गार सेवक, पंचायत सेवक या प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी) जॉब कार्ड आवेदन को प्राप्त कर आवेदक को रसीद दे सकते हैं जिसपर वे अपना हस्ताक्षर व आवेदन प्राप्त करने की तारीख लिखेंगे।
काम की मांग	वार्ड सदस्य व मुखिया मजदूरों को काम के आवेदन का फॉर्म भरने व फॉर्म को ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करने में सहयोग कर सकते हैं। मुखिया (या ग्राम रोज़गार सेवक, पंचायत सेवक या प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी) काम की मांग के आवेदन को प्राप्त कर आवेदक को रसीद दे सकते हैं जिसपर वे अपना हस्ताक्षर व आवेदन प्राप्त करने की तारीख लिखेंगे।
रोज़गार दिवस का आयोजन	प्रत्येक सप्ताह पंचायत भवन में रोज़गार दिवस का आयोजन होना अनिवार्य है। रोज़गार दिवस के आयोजन सम्बंधित विस्तृत मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक (N)706 दिनांक 13.04.2016 में वर्णित है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रखंड प्रशासन के सहयोग से रोज़गार दिवस का आयोजन किया जाएगा।

काम की मांग कर रहे मजदूरों को योजना का आवंटन करना	ग्राम पंचायत मजदूरों को योजना आवंटित करेगी, जिसपर वे काम करेंगे। मज़दूर को किस योजना पर काम आवंटित करना है, यह निर्णय वार्ड सदस्य की सहमति से लिया जाएगा। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि मजदूरों को उनके गाँव-टोले में ही काम मांगने के 15 दिनों के अन्दर काम मिले। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राम सभा की प्राथमिकता सूची के अनुसार ही नये काम खोले जाएं तथा पुराने कार्यों को समाप्त किया जाए।
कार्यस्थल सुविधाएं सुनिश्चित करना	ग्राम पंचायत जिन मनरेगा योजनाओं के लिए कार्यकारी एजेंसी होगी, उन योजनाओं में मजदूरों के लिए कार्यस्थल व्यवस्था (पीने का पानी, छाया की व्यवस्था, मेडिकल किट, सूचना बोर्ड व बच्चों की देखरेख की व्यवस्था) सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होगी।
भरे हुए मस्टर रॉल व दैनिक मेट मापी प्रपत्र का सत्यापन	प्रति कार्य-सप्ताह के अंत में वार्ड सदस्य मेट द्वारा सत्यापन के उपरांत मस्टर रॉल व मेट मापी प्रपत्र का सत्यापन करेंगे। वार्ड सदस्य यह सत्यापन करेंगे कि कार्यस्थल पर कार्यरत सभी मजदूरों का नाम मस्टर रॉल में दर्ज है, उनकी सही उपस्थिति दर्ज है एवं किसी अन्य मजदूर का नाम मस्टर रॉल में दर्ज नहीं है। सत्यापन हेतु वार्ड सदस्य मस्टर रॉल पर हस्ताक्षर करेंगे। बिना उनके हस्ताक्षर के मस्टर रॉल की NREGASoft में प्रविष्टि नहीं की जाएगी। वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत मुखिया द्वारा मस्टर रॉल का सत्यापन किया जाएगा।
मज़दूरी व सामग्री भुगतान के लिए Fund Transfer Orders जारी करना	विभागीय पत्रांक (N)1590 दिनांक 21.11.2014 के अनुसार ग्राम पंचायात स्तर से जारी हो रहे Fund Transfer Orders के लिए पंचायत सेवक प्रथम हस्ताक्षरी (first signatory) व मुखिया **द्वितीय** हस्ताक्षरी (second signatory) हैं।
निबंधित सामग्री vendor का नियमित मूल्यांकन	ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति ग्राम पंचायत के सभी निबंधित सामग्री vendors द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता व नियमितता का मासिक मूल्यांकन करेगी। अगर किसी vendor का कार्य असंतोषजनक पाया गया, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति उनकी सेवा रद्द करने की अनुशंसा करेगी।
vendor द्वारा की गई आपूर्ति की निगरानी व सत्यापन	सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में चल रही योजनाओं में vendor द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता व नियमितता की निगरानी करेंगे।
योजनाओं की नियमित निगरानी	वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र में चल रही मनरेगा योजनाओं के कार्यस्थल पर निम्न मुद्दों की निगरानी करेंगे: • कार्यस्थल पर मस्टर रॉल व मज़दूरों के पास उनका जॉब कार्ड है या नहीं • कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया की व्यवस्था, मेडिकल किट, सूचना बोर्ड व बच्चों की देखरेख की व्यवस्था है या नहीं ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति अपनी मासिक बैठक में ग्राम पंचायत में चल रही सभी मनरेगा योजनाओं की समीक्षा करेगी।
मेट का नियमित मूल्यांकन	ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति मेट के काम का नियमित मूल्यांकन करेगी। अगर किसी मेट का कार्य असंतोषजनक पाया गया, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति उसकी सेवा रद्द कर सकती है।
ग्राम रोज़गार सेवक का नियमित मूल्यांकन	ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति ग्राम रोज़गार सेवक के काम का नियमित मूल्यांकन करेगी। अगर किसी ग्राम रोज़गार सेवक का कार्य असंतोषजनक पाया गया, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने मूल्यांकन के विषय में सूचित करेगी।

उपरोक्त निर्देशों से प्रखंड विकास पदाधिकारी को तुरंत अवगत कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पत्र की प्रति सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायेंगे एवं उपरोक्त मार्गदर्शिका पर उनके एवं मनरेगा कर्मियों के उन्मुखीकरण हेतु एक-दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे। प्रशिक्षक के रूप में प्रखंड के CFT व अन्य सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्गदर्शिका अनुसार मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन व निगरानी सम्बंधित सभी गतिविधियों में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति व ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

16/5/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक -13-301/**श्रम बजट**/2015/**ग्रा0वि0** (N) 905 **राँची, दिनांक** 16-5-16

प्रतिलिपि - सभी उपायुक्त/प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/5/16

सरकार के प्रधान सचिव।